

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 02.02.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-08 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. वीर सिंह पुत्र नन्हें सिंह नि० अतर सुईया थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-48/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. नन्हके पुत्र कलपू नि० केवटन पुरवा मजरे पूरेअजब थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-15/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. लल्ला यादव पुत्र दरबारी यादव नि० टी०आर० भट्टा थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-82/21, 02. गुड्डू पुत्र योगेश नि० टी०आर० भट्टा थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-83/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

500 ग्राम अवैध गांजा बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. राम बाबू तिवारी पुत्र घुपराज तिवारी नि० तिवारी पुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-26/21, धारा 8/20, एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 500 ग्राम अवैध गांजा।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 01.02.2021 को थाना धानेपुर के उ०नि० दिलीप कुमार सिंह मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को दरोगा पुरवा तिराहा के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया।

अभियुक्त को थाना धानेपुर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 राम आशीष मौर्या।
02. उ0नि0 दिलीप कुमार सिंह।
03. हेड का0 रामकृपाल यादव।
04. हेड का0 जनार्दन यादव।

चोरी के समान के साथ 04 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. राकेश वर्मा पुत्र शिवनाथ वर्मा नि0 ग्राम शीतलगंज ग्रन्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. सनी वर्मा पुत्र धर्मेन्द्र वर्मा नि0 ग्राम शीतलगंज ग्रन्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
03. पंकज वर्मा पुत्र राम अवतार वर्मा नि0 ग्राम शीतलगंज ग्रन्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
04. मुकेश वर्मा पुत्र राम लाल शर्मा नि0 ग्राम राउत बनकट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-41/21, धारा 41.411 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद सोलर पैनल।
02. 03 अदद टुल्लू पम्प।
03. 02 अदद मोटर पम्प।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 01.02.2021 को थाना छपिया के उ0नि0 अरुण कुमार राय मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति चोरी का समान राजा फार्म के पीछे बाग में छिपा रहे हैं। मुखबिर खास की सूचना पर पुलिसबल द्वारा मौके पर पहुँचकर उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से उक्त चोरी का समान बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना छपिया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 अरुण कुमार राय।
02. हे0का0 सुधीर कुमार सिंह।
03. हे0का0 रामप्रकाश सिंह।
04. हे0का0 मनोज यादव।
05. का0 अंकित शर्मा।